भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
02.04.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 5101 का उत्तर

अंगमाली-सबरी रेल परियोजना के लिए समझौता

5101. श्री एंटो एन्टोनी:
एडवोकेट डीन कुरियाकोस:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने रेलवे को सूचित किया है कि वह अंगमाली-सबरी रेलवे लाइन परियोजना की लागत का 50 प्रतिशत वहन करने के लिए तैयार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने रेलवे को सूचित किया है कि अंगमाली-सबरी रेलवे लाइन के लिए रेलवे और रिजर्व बैंक के साथ बिना शर्त त्रिपक्षीय समझौता राज्य के लिए स्वीकार्य नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने रेलवे से अनुरोध किया है कि सबरी रेल परियोजना के लिए केरल निवेश अवसंरचना निधि बोर्ड केआईआईएफबी) द्वारा लिए गए ऋण को राज्य की उधार सीमा से छूट दी जाए;

(घ) यदि हां, तो क्या रेलवे ने वित्त मंत्रालय को राज्य की उधार सीमा से इस ऋण को छूट देने के केरल के अनुरोध के बारे में अवगत कराया है; और

(ङ) रेलवे द्वारा परियोजना को फिर से चालू करने, भूमि मूल्य के वितरण और परियोजना के निर्माण को फिर से शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): एरुमेली के रास्ते अंगमाली-सबरीमाला नई लाइन परियोजना को वर्ष 1997-98 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। अंगमाली-कालड़ि (7 कि.मी.) पर कार्य और कालड़ि-पेरम्बवूर

(10 कि.मी.) पर लम्बे समय तक चलने वाले निर्माण कार्य शुरू किए गए थे। बहरहाल, भूमि अधिग्रहण और लाइन संरेखण के निर्धारण के विरुद्ध स्थानीय जनता के विरोध, परियोजना के विरुद्ध दर्ज न्यायिक मामलों और केरल राज्य सरकार से अपर्याप्त सहयोग के कारण इस परियोजना पर कार्यों को आगे नहीं बढ़ाया जा सका।

परियोजना की अनुमानित लागत को 3801 करोड़ रुपए पर अद्यतन किया गया है और इसे दिसंबर, 2023 में अनुमानित लागत की स्वीकृति और परियोजना की लागत साझा करने की सहमति के लिए केरल सरकार को प्रस्तुत किया गया था।

केरल राज्य सरकार ने अगस्त, 2024 में अपनी सशर्त सहमति सूचित कर दी है।

रेलवे द्वारा केरल राज्य सरकार से लागत साझा करने के लिए बिना शर्त सहमति देने का अनुरोध किया गया है। केरल सरकार से इस परियोजना के लिए केरल राज्य सरकार, रेल मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का भी अनुरोध किया गया है परंतु केरल सरकार से इस संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

******